न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2021

1. जगदीश पुत्र स्व0 गोपाल जाति नाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी तेजा जी की पुलिया के पास, गढ़वालो की ढ़ाणी रोड़, मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
2. नटवरलाल पुत्र स्व0 रामरतन जाति नाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी तेजा जी की पुलिया के पास, गढ़वालो की ढ़ाणी रोड़, मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. नारायण पुत्र स्व0 रामरतन जाति नाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी पुलिस क्वाटर्स के पास, भैंसा हरडी, मालियो की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
4. मुन्नी पुत्री स्व0 रामरतन जाति नाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम बड़गावं तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
5. रामदेवी पत्नि स्व0 रामरतन जाति नाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी तेजा जी की पुलिया के पास, गढ़वालो की ढ़ाणी रोड़, मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
6. संतोष पुत्री स्व0 रामरतन जाति नाई नाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम सिरोही कलां तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान
7. सुनीता पुत्री स्व0 रामरतन जाति नाई निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम भामोलाव तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नि स्व0 पाबूलाल जाति नाई
2. सुरज्ञान पत्नि स्व0 गोविन्द जाति नाई
3. नाबालिग मुकेश पुत्र गोविन्द जाति नाई
4. नाबालिग मनीषा पुत्री गोविन्द जाति नाई
5. नाबालिग कानाराम पुत्र गोविन्द जाति नाई
6. नाबालिग सुमन पुत्र गोविन्द जाति नाई

   अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 नाबालिग जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता सुरज्ञान पत्नि स्व0 श्री गोविन्द

7. धन्नालाल पुत्र स्व0 पाबूलाल जाति नाई
8. लाली पुत्री स्व0 पाबूलाल जाति नाई
9. सन्तोष पुत्री स्व0 पाबूलाल जाति नाई
10. सांवरा पुत्र स्व0 पाबूलाल जाति नाई
11. सोना पुत्री स्व0 पाबूलाल जाति नाई
12. सोराज पुत्र स्व0 पाबूलाल जाति नाई
13. हनुमान पुत्र स्व0 श्री मदना जाति नाई मृतक जिसके विधिक वारिसान

13/1. श्रीमती मोरा देवी पत्नि स्व0 हनुमान

13/2. गणेश सैन पुत्र स्व0 हनुमान

13/3. गजेन्द्र सैन पुत्र स्व0 हनुमान

13/4. पवन कुमार सैन पुत्र स्व0 हनुमान

13/5. नाबालिग गौरी शंकर उर्फ बिट्टू पुत्र स्व0 हनुमान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती मोरा देवी पत्नी स्व0 हनुमान

14. उदयसिंह पुत्र स्व0 हींगलाजदान जाति बारेठ

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

गुलाब कंवर पत्नि स्व0 सुमेरसिंह जाति बारेठ
6. गोपालसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह जाति बारेठ
17. मनोहर कंवर पत्नि स्व0 हींगलाजदान जाति बारेठ
18. राजूदान पुत्र स्व0 सायबदान जाति बारेठ
19. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह जाति बारेठ
20. छीतरसिंह पुत्र स्व0 भवानीदान जाति चारण
21. दीलीप पुत्र स्व0 कैलाशदान जाति चारण
22. मधुसुदन पुत्र कैलाशदान जाति चारण
23. संजू कंवर पुत्री कैलाशदान जाति चारण
24. सुप्यान कंवर पत्नि कैलाशदान जाति चारण
25. सुमन कंवर पुत्री भवानीदान जाति चारण
26. किशन कवंर पत्नि स्व0 भगवतसिंह जाति बारेठ
27. गुड्डू कवंर पुत्री स्व0 भगवतसिंह जाति बारेठ
28. नरपतसिंह पुत्र स्व0 भगवतसिंह जाति बारेठ
29. पूजा कवंर पुत्रीस्व0 भगवतसिंह जाति बारेठ
30. रामप्रतापसिंह पुत्र स्व0 दुर्गादान जाति बारेठ
31. नाबालिग विजेन्द्रसिंह पुत्र स्व भगवतसिंह संरक्षक सरपरस्त माता सुमन कवंर जाति बारेठ
32. मधु कॅवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह जाति चारण
33. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 इन्द्रसिंह जाति चारण
34. रिछपालसिंह पुत्र स्व0 इन्द्रसिंह जाति चारण
35. सदा कवंर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह जाति चारण
सर्व निवासीगण ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
37. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत्

दिनांकः 27/12/2021

उपस्थितः श्री नारायण लाल सैन प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र जरिये वकील श्री नारायण सैन के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा कि[illegible] प्रार्थीगण के स्वामित, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि [illegible] संख्या नया 285 के खसरा संख्या 635 रकबा 2.5484 हेक्टेयर ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

खातेदारी की कृषि भूमि के ख0नं0 635 के पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 व प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 636 की भूमि स्थित है, प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 611 गै0 मु0 रास्ता स्थित है, प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 व प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 562 एवं अप्रार्थीगण संख्या 20 लगायत 25 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 743/563 एवं अप्रार्थीगण संख्या 26 लगायत 31 व प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 742/563 एवं अप्रार्थीगण संख्या 32 लगायत 35 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 740/563 स्थित है एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार किशनगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 16.06.2020 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण सन्तुष्ट नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 35 के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है एवं अप्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खसरा नम्बर 635 की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण एवं अडौस पड़ौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ़ सकता है। वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशानियों से बचने के लिए तथा पड़ौसी खातेदारो से विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायाहित में अति आवश्यक है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह बाह जोत करते है। आवागमन के रास्ते में कृषि संसाधनो, पशुओं को लाने व ले जाने में बाधा कारित करते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण ने रबि की फसल चना अगस्त, सितम्बर, 2020 सम्वत 2077 में बिजाई करने गये तो अप्रार्थीगण ने बिजाई करने से एवं आवागमन के गै0मु0 रास्ते से आने जाने में बाधा कारित करते है तब प्रार्थीगण ने कहा कि हम हमारी भूमि पर ही कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं सरकारी रिकोर्डेड गै0मु0 रास्ते से ही हमारी भूमि में आते जाते रहे है तुम्हारे को हमारी खातेदारी की भूमि में आने जाने के सरकारी रास्ते में किसी तरह की बाधा, रूकावट करने का अधिकार नहीं है। तब से प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तरण जारी है। इसलिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 35 की भूमि की चारो सीमाओं से लगती हुई स्थित होने से पडौसी खातेदार काश्तकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 36 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा ग्राम काढा पटवार हल्का बालापुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित ख0नं0 635 सम्पूर्ण भूमि का मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाम चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 11 एवं अप्रार्थी संख्या 13 के विधिक वारिसान 13/1 से 13/5 और 14 लगायत 35 के तामिल शुदा नोटिस प्राप्त परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 11 एवं अप्रार्थी संख्या 13 के विधिक वारिसान 13/1 से 13/5 और 14 लगायत 35 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कि गई एवं अप्रार्थी संख्या सं0 12 कि ओर से वकील श्री रामधन पोषक उपस्थित परन्तु प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही करने पर अप्रार्थी संख्या 12 के जवाब का अवसर दिनांक 25.10.2021 को बन्द किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 36 के द्वारा जवाब पेश किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण कि एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार किशनगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में [illegible] करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 16.06.2020 को तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

किया गया था जिससे प्रार्थीगण सन्तुष्ट नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 35 के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है एवं अप्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त खसरा नम्बर 635 की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा ग्राम काढा पटवार हल्का बालापुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित ख0नं0 635 सम्पूर्ण भूमि का मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाम चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम काढा पटवार हल्का बालापुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित भूमि ख0नं0 635 रकबा 2.5484 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में खसरा नम्बर 635 का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम काढा पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ स्थित कृषि भूमि ख0नं0 635 रकबा 2.5485 हैक्टयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)